



# HAPUR

# POLICE



पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए 07 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 03 आरोपियों को 15,500-15,500/-रुपये एवं 04 आरोपियों को 15-15 हजार रुपये कुल 1,06,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

**Meticulous Investigation & Prosecution**



घटना का संक्षिप्त विवरण:- वर्ष 2007 में थाना बहादुरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आलमनगर में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के भांजे व उसके पुत्रों के साथ मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया था जिसमें एक व्यक्ति किशनपाल पुत्र महेद्र की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के सम्बन्ध थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उपरोक्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व करीब 52 दिनों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल कर लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 21.03.2024 को उपरोक्त सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 301/2007 धारा 147, 148, 149, 307, 504,302 भादवि बनाम 1. धनपत पुत्र बुद्धा सिंह 2. शेरा पुत्र संता 3. सतीश पुत्र बुद्धा 4. कालू पुत्र गिरवर 5. संतोष पत्नी धनपत 6. हरिप्यारी पत्नी शेरा 7. सुन्दर पुत्र शेरा निवासीगण ग्राम आलमनगर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ मामले में मा0 न्यायालय का निर्णय ।



@hapurpolice



Hapur Police



hapurpolice

